



MSMEs क्षेत्र में नरियात को बढ़ावा

प्रलिमिंस के लिये:

[नीति आयोग](#), [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्तु एवं सेवा कर](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [RoDTEP योजना](#), [नरियात क्रेडिटि गारंटी नगिम \(ECGC\)](#), [बाज़ार पहुँच पहल](#), [सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम](#), [MSME के लिये क्रेडिटि गारंटी योजना](#), [सकल घरेलू उत्पाद](#)

मेन्स के लिये:

MSME क्षेत्र से नरियात को बढ़ावा देना: नीति आयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधन एकत्रित करना, वृद्धि, विकास एवं रोज़गार से संबंधित मुद्दे, MSME क्षेत्र में डिजिटलीकरण एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ग्रामीण विकास में MSME की भूमिका

परचिय:

हाल ही में [नीति \(नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया\) आयोग](#) ने [भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों \(MSME\)](#) से नरियात में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए [MSME से नरियात को बढ़ावा देने नामक एक रपिर्ट](#) जारी की है।

- यह रपिर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र, जो किरोज़गार, नरियात एवं आर्थिक विकास में योगदान प्रदान करता है, की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

भारत में MSME क्षेत्र का अवलोकन क्या है?

- MSME की परिभाषा में संशोधन:
 - [MSME विकास अधिनियम, 2006](#) को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये नविश तथा कारोबार की सीमा में वृद्धि हुई।
 - संशोधन का उद्देश्य नमिन प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर और टर्नओवर को एक परिभाषित उपाय के रूप में शामिल कर लाभ के नुकसान को रोकना था।

//

Parameters	Micro	Small	Medium
Investment in Plant and Machinery	< 1 Crore INR	< 10 Crore INR	< 50 Crore INR
Annual Turnover	< 5 Crore INR	< 50 Crore INR	< 250 Crore INR
No. of MSMEs (Based on NSS data)	6.3 Crore	3.3 Lakh	5 thousand
No. of MSMEs (Based on Udyam data as on 31st March 2023)	1.5 Crore	4.6 Lakh	41 thousand

- MSME क्षेत्र में विकास के रुझान:
 - वर्ष 2019 एवं वर्ष 2021 के बीच भारत में लगभग 40 लाख नई इकाइयों के साथ MSMEs इकाइयों की स्थापना में वृद्धि देखी गई।

- नए सूक्ष्म उद्यमों में वृद्धि ने मुख्य रूप से विकास को प्रेरित किया।
- वनरिमाण में लगी MSME इकाइयों की हसिसेदारी में पिछले आठ वर्षों में 7% की वृद्धि देखी गई, कुल 54 लाख MSME इकाइयों में से 38% अब वनरिमाण गतिविधियों में शामिल हैं।
- वनरिमाण एवं घनत्व:
 - नरियात के लिये उपयुक्त अधिकांश वनरिमाण गतिविधियाँ MSME क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्यमों के बीच केंद्रित हैं।
 - MSME मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, MSME वनरिमाण के उच्चतम घनत्व वाले शीर्ष पाँच राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात हैं।
- औपचारिक वनरिमाण:
 - भारत में MSME क्षेत्र में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश (लगभग 6.3 करोड़) 20 से कम श्रमिकों वाले सूक्ष्म उद्यम हैं, जो उन्हें अधिकांश औपचारिक नयियों से बाहर रखते हैं।
 - केवल लगभग 12.8 लाख उद्यम ही 20 कर्मचारी सीमा से अधिक वाले हैं और साथ ही उन्हें औपचारिक प्रणाली का हसिसा माना जाता है।
 - भवषिय नधि डेटाबेस के अनुसार पंजीकृत 13 लाख उद्यमों में से लगभग 70,000 उद्यमों का राजस्व 5 करोड़ से अधिक है, जो उन्हें सूक्ष्म से लघु श्रेणी में स्थानांतरित करता है।
 - शेष 9.3 लाख उद्यम 20 से अधिक कर्मचारी होने के बावजूद राजस्व के संदर्भ में अभी भी सूक्ष्म खंड के अंतर्गत आते हैं।
- नीतिपरिदृश्य और चुनौतियाँ:
 - भारत में वर्तमान नीतिपरिदृश्य और आर्थिक पैकेजों से मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को लाभ होता है परंतु अनजाने में छूट नशित सीमाओं को पार करने तथा परिचालन का वसितार करने से उन्हें हतोत्साहित करते हैं।
 - उदाहरण के लिये वर्ष 1947 के औद्योगिक विधि अधिनियम के तहत केवल 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कर्मचारियों की छँटनी के लिये सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि छोटी कंपनियाँ इस प्रतिबंध के बनि कर्मचारियों को बरखास्त कर सकती हैं।
 - यह प्रतिबंध अनजाने में MSMEs को लघु पैमाने की अर्थव्यवस्था बने रहने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिससे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और बड़े बाजारों एवं संसाधनों तक पहुँच तथा नवाचार व वसितार के लिये नविश आकर्षित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।
 - वनिन सहायता पहलों के लाभार्थी होने के बावजूद कई MSMEs को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर पूंजी लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी विकास क्षमता सीमित हो जाती है।
 - नरियात क्षमता और प्रदर्शन में कमी:
 - भारत की बड़ी जनसंख्या के बावजूद इसका एक बड़ा हसिसा आर्थिक रूप से वंचित है, जिसके कारण कर्य शक्ति सीमित है। परिणामस्वरूप भारतीय बाजार का प्रभावी आकार अपेक्षा से लघु है।
 - उच्च प्रतिस्पर्धा और लघु बाजार स्तर संयोजन MSMEs के वनरिमाण के लिये एक चुनौतीपूर्ण विकास परिस्थिति तैयार करता है।
 - इसलिये भारतीय MSMEs के लिये स्तर की सीमाओं को पार करने और विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिये नरियात महत्त्वपूर्ण है।
 - नरियात से 54 लाख वनरिमाण MSMEs को अपने ग्राहक आधार का वसितार करने, राजस्व और लाभ बढ़ाने, ग्राहक आधार में विधिता लाने तथा एक वैश्विक खलिाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से लाभ हो सकता है।
 - अवसर के बावजूद MSMEs का केवल एक छोटा प्रतिशत (0.95%) ही नरियात में संलग्न है।
 - 1.58 करोड़ पंजीकृत MSMEs में से केवल 1.5 लाख इकाइयाँ ही अपनी वस्तुओं और सेवाओं के नरियात का दावा करती हैं।
- MSME क्षेत्र के नरियात का अनुमान:
 - भारत में MSME क्षेत्र के नरियात और कुल नरियात के बीच वसिगत है। MSME से होने वाले नरियात का अनुमान वर्तमान में एक पुरानी सूची पर आधारित है जिस 'लघु उद्योगों से खरीद के लिये आरक्षण वस्तुओं की सूची' के रूप में जाना जाता है।
 - भारत सरकार द्वारा अनविार्य इस सूची में से कुछ उत्पादों को विशेष रूप से MSMEs से खरीदना आवश्यक है।
 - संरक्षण वस्तुओं की श्रेणी को नरिसत करने के लिये अनुमान प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है, जो वर्तमान बाजार की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिये कार्यप्रणाली को अद्यतन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
 - स्व-रिपोर्ट किये गए डेटा (उद्यम) और सरकार के आधिकारिक अनुमानों के बीच वसिगतियों के परिणामस्वरूप MSME नरियात के आँकड़ों में वृद्धि होती देखी जाती है, जिससे अशुद्धियाँ होती हैं।

MSME के नरियात के लिये क्या अवसर हैं?

- नरियात की कौशल-गहन प्रकृति:
 - वनरिमाण और सेवा नरियात दोनों ही कौशल-गहन हैं।
 - भारत की विशेषज्ञता ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अधिक कौशल-गहन नरियात की ओर स्थानांतरित हो गई है।
- कम कौशल वाली वनरिमाण क्षमता का कम उपयोग:
 - भारत ने कम कौशल वाले वनरिमाण नरियात के लिये लुईस वकर का पूरी तरह से दोहन नहीं किया है।
 - लुईस ने माना कि आधुनिक क्षेत्र में श्रम बाजार पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी है, इस स्थिति में सीमांत उत्पाद वकर श्रम के लिये वास्तविक मांग वकर है।
 - भारत को परिधान, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे कम-कुशल नरियात में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मलि सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में इसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा है।

- कामकाजी उम्र की बड़ी जनसंख्या और वनिरिमाण MSMEs में महत्त्वपूर्ण रोजगार होने के बावजूद कम-कुशल वनिरिमाण उत्पादों के वैश्विक नरियात में भारत की हसिसेदारी केवल 5% है ।
- भारत कामकाजी उम्र की आबादी के आकार के सापेक्ष कम-कुशल वस्तुओं के नरियात के अनुपात में वयितनाम, बांग्लादेश और चीन से पीछे है ।
- कम-कौशल वाली वस्तुओं के नरियात के चलते कुशल वनिरिमाण संसाधनों के लयि परतसिपर्द्धा कयि बिना माल नरियात हसिसेदारी में वृद्धि की जा सकती है, जसिसे देश को लाभ होगा । इससे MSME क्षेत्र को अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर नरितर विकास सुनशिचति करने में मदद मिलती है ।

Product Category	India's Share (in \$bn.)	Global Exports (in \$bn.)
Herbal Supplements and Ayurveda Products	1.1	13.2
Wood Products	2.3	152.9
Handicrafts	1.1	109.3
Leather Products	1.4	28.9
Handloom Textiles	1.6	13.8
Jewellery	0.2	8.2
TOTAL	7.6	326.2

Table 3.2: Global Market and India's Contribution in Exports of Products Categories suitable for MSMEs*

■ नेचुरल फटि इंडस्ट्रीज़:

- लकड़ी उत्पाद नरिमाण, [आयुर्वेद](#) और हर्बल सप्लीमेंट, हथकरघा कपड़ा, हस्तशलिपि, चमड़े के उत्पाद और आभूषण जैसे कुछ उद्योग MSME नरियात के लयि उपयुक्त हैं ।
 - वदिशों में इन उत्पादों के परतसिपर्द्धात्मक बढत प्रदान करता है ।
- इनमें पारंपरिक वनिरिमाण तकनीकों और शलिपि कौशल का उपयोग कयि जाता है, श्रम-गहन होने के साथ इनमें कम नविश की आवश्यकता होती है और भारत की वरिसत से जुड़े होने की वज़ह से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लाभ प्राप्त होता है ।

Manufacturing Industry	Product Categories
 <p>Wood and wood products</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials • Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects • Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles • Wooden furniture for offices and homes • Furniture of bamboo
 <p>Textiles and Leather</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Woven fabrics of silk, combed wool of handloom • Cotton durries of handloom • Gloves, mittens, and mitts; Of handloom • Bed sheets and bed covers, of cotton, Handloom • Other bed linen, printed: of cotton: Handloom • Carpets, rugs and mats of handloom • Embroidery on a textile fabric ground, in the piece, in strips or in motifs • Dress materials hand printed: - Of cotton and of various other fabrics • Handbags, whether with shoulder strap, including those without handle • Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag: Wallets • Articles of apparel and clothing accessories, of leather or composition leather
 <p>Other Manufacturing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imitation jewelry • Candles and the like • Agarbatti and other odoriferous preparations which operate by burning • Handbags of other materials excluding wickerwork or basket work • Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware • Handmade paper and paperboard of any size or shape • Essential oils, whether terpene less, incl. concretes and absolutes; resinoids • Herbal Supplements • Toys

Table 3.1: Product categories well suited for exports from MSMEs

- नरियात में वृद्धि के लिये ई-कॉमर्स का उपयोग:
- नरियात में स्थायी लाभ मार्जनि बनाए रखने के लिये MSME क्षेत्र को बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है।
- अधिकांश भारतीय नरियातक मामूली राजस्व अर्जति करते हैं, जसिसे **ई-कॉमर्स** जैसे चैनल अधिक व्यवहार्य हो जाते हैं।
 - भारत का सीमा पार ई-कॉमर्स व्यापार 2 बलियिन अमेरिकी डॉलर का मामूली प्रतिनिधित्व करता है, जो कुल माल नरियात का केवल **0.5%** और वैश्विक व्यापार-से-उपभोक्ता (B2C) ई-कॉमर्स नरियात का **0.25%** है।
 - अनुमान बताते हैं कि दशक के अंत तक भारत का ई-कॉमर्स नरियात 350 बलियिन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, जो इसके कुल नरियात का एक-तहाई होगा।
 - वैश्विक स्तर पर B2C ई-कॉमर्स बाज़ार के 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में भारत के लिये महत्त्वपूर्ण विकास अवसरों का संकेत देता है।
- जागरूकता, समझ और नियामक समर्थन की कमी जैसे कारक वैश्विक B2C ई-कॉमर्स बाज़ार में भारत की उपस्थिति में बाधा डालते हैं।




Figure 3.2: Top e-commerce product categories with high growth and Indian "Heritage" products

MSME के नरियात को बढ़ाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

■ व्यापारिक वातावरण:

○ उच्च नयामक भार:

- भारत में नरिमाताओं को व्यवसाय पंजीकरण, कराधान, पर्यावरण नयिम, शर्म कानून और **बौद्धिक संपदा अधिकारों** सहति व्यापक नयामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है।
- अनुपालन संसाधन-गहन होने के साथ ही इसमें अधिक समय लगता है, जसिमें संभावति वत्तितीय लागत और व्यक्तगित दायतिव शामिल हैं।
- अनुपालन संबंधी गलतियों के परणामस्वरूप कंपनी को **वत्तितीय लागत** और प्रमोटरो को व्यक्तगित देनदारी का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत में व्यवसाय शुरू करने की लागत बहुत अधिक है, जसिके लयि कई प्रक्रयियों और अनुमोदनों की आवश्यकता होती है।



○ नीतियों और कार्यान्वयन के बीच वसिंगति:


- नीतियों और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य का अभाव नरियात प्रक्रयि के दौरान बाधाएँ उत्पन्न करता है।

- नीतियों की अलग-अलग व्याख्याएँ अनुपालन भार को बढ़ाती हैं, जिससे देरी और जटिलता जैसे बैंकों द्वारा अनावश्यक दस्तावेज़ अनुरोध, की स्थिति उत्पन्न होती है।
 - उदाहरण के लिये **भारत के आयकर कानून** के तहत वदेशी वकिरेताओं से माल की खरीद के लिये किये गए भुगतान हेतु **फॉर्म 15CA या 15CB** की आवश्यकता न होने के बावजूद बैंक अक्सर इन फॉर्मों के उपयोग का अनुरोध करते हैं, जिससे भुगतान प्रक्रिया में देरी होती है और वकिरेताओं का भुगतान तथा ग्राहकों को की जाने वाली डिलीवरी प्रभावित होती है।
- **परीक्षण और प्रमाणन चुनौतियाँ:**
 - वशिष्ट प्रयोगशालाओं की सीमिति उपलब्धता के परिणामस्वरूप **उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन** में देरी होती है, जिससे समय पर शिपमेंट में बाधा आती है।
 - खासकर MSME के लिये प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अधिक समय लगने के साथ ही यह महंगा होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों और प्रतस्पर्द्धात्मकता तक उनकी पहुँच सीमिति हो जाती है।
- **नमूनों पर आयात शुल्क:**
 - सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा आयातित नमूनों पर उच्च शुल्क और कर लगाया जाता है, जिससे आयातकों के लिये कार्यशील पूंजी में रुकावट पैदा होती है।
 - सीमा शुल्क कानून के तहत अपर्याप्त छूट के कारण आयातकों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
- **ई-कॉमर्स के लिये नरियात प्रोत्साहन:**
 - मौजूदा नरियात प्रोत्साहन **मुख्य रूप से कार्गो शिपिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे कूरियर मोड का उपयोग करने वाले ई-कॉमर्स नरियातकों को नुकसान होता है।**
 - यह ई-कॉमर्स नरियातकों के समक्ष बाधा उत्पन्न करता है, इससे **नरियातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना तथा अग्रिम प्राधिकरण** जैसे कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच को सीमिति होती है जो सरकारी सहायता का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।

■ माल नरियात पर कर लगाना:

- **खंडति समन्वय:**
 - नरियातकों द्वारा पाँच अलग-अलग सरकारी प्राधिकरणों- **DGFT (वदेश व्यापार महानिदेशालय), सीमा शुल्क, GST (वस्तु एवं सेवा कर), बैंक और RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक)** के साथ समन्वय करना।
 - इस खंडति प्रक्रिया हेतु प्रत्येक प्राधिकरण को समान दस्तावेज़ और वविरण बार-बार दाखलि करने की आवश्यकता होती है, जिससे संसाधनों पर दबाव के साथ ही समय नष्ट होता है।
- **अधिक कागज़ी कार्रवाई:**
 - नरियात लाइसेंस, चालान और पैकगि सूचियों सहित व्यापक दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
 - प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएँ, वशिषतः अनुभवहीन नरियातकों के लिये समय लेने वाली और जटलि हैं।
 - **भारत को सीमा शुल्क के माध्यम से नरियात संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में औसतन 17 दिन लगते हैं, जबकि नरियातकों को दस्तावेज़ी अनुपालन में मात्र 2 दिन लगते हैं।**

● Days to clear direct exports through customs ● Time taken to fill all the documentary compliance(days)



Number of days it takes to complete export related documentary compliances and get custom clearance at ports

◦ सीमा शुल्क प्रतचियन के कारण वलिंब:

- गुणवत्ता सत्यापन के लिये सीमा शुल्क द्वारा शिपमेंट का यादृच्छिक प्रतचियन (Sampling), शिपमेंट में वलिंब का कारण बन सकता है।
- प्रतचियन, जाँच और क्लीयरेंस प्रक्रियाएँ शिपिंग समय-सीमा को बढ़ाती हैं, जिससे डिलीवरी प्रभावित होती है और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

◦ कठिनि भुगतान समाधान प्रक्रिया:

- आयात और नरियात के लिये भुगतान समाधान प्रक्रिया एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।
- नरियात आय के वरुद्ध शपिगि बलियों के नपितान के लिये कड़े मानदंड एक संसाधन-गहन प्रक्रिया है, जसिमें तुरुटकी कोई गुंजाइश नहीं है।
- सुलह संबंधी वफिलता के परणामस्वरूप जुरमाना और लंबी सुधार प्रक्रियाओं के चलते परचालन चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

▪ MSME की वतित तक पहुँच:

◦ औपचारिक वतित तक सीमति पहुँच:

- भारत में MSME क्षेत्र की कुल ऋण मांग का केवल 16% वाणजियकि बैंकों, **NBFC** और **फनिटेक** द्वारा पूरा कया जाता है।
 - दैनिक परचालन को सुचारु बनाए रखने और व्यवसाय में वृद्धि के लिये पूंजी तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।
- एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का अनुमान है की **MSME के लिये कुल वतित की मांग 1,955 बलियन अमेरकी डॉलर** होगी, जसिका एक महत्त्वपूर्ण हसिसा अपराप्य है।

◦ ट्रेड फाइनेंस गैप:

- संपूर्ण MSME ट्रेड फाइनेंस/वतित अंतर **5 ट्रलियन अमेरकी डॉलर के करीब होने का अनुमान है**, जो उनके वकिस में बाधा बन रहा है।
 - अकेला व्यापार वतित अंतर 1.5 ट्रलियन अमेरकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जसिमें MSME प्रस्तावों के लिये असवीकृति 45% है।
- अंतर के कारणों में उच्च जोखमि प्रोफाइल, संपारश्वकि की कमी, जटलि दस्तावेज़ीकरण और सेवाओं की उच्च लागत शामिल हैं।

◦ ऋण घाटे का सामना कर रहे सूक्ष्म उद्यम:

- इन उद्यमों को संपारश्वकि की कमी और ऋणदाताओं द्वारा उच्च जोखमि की धारणा के कारण ऋण देने से इनकार कर दिया जाता है, **40% सूक्ष्म उद्यमों को संपारश्वकि की कमी के कारण ऋण देने से इनकार कर दिया जाता है।**

◦ कार्यशील पूंजी तक पहुँच:

- **MSME क्षेत्र की लगभग 70% ऋण मांग में कार्यशील पूंजी की मांग शामिल है।**
 - कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुँच की कमी छोटे नरिमाताओं के वकिस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक चरण के लिये कार्यशील पूंजी आवश्यक है।



▪ सीमति बाज़ार पहुँच:

◦ अनावृत्ति (Exposure) की कमी:

- MSME की प्रायः वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच की कमी होती है, जसिके परणामस्वरूप मांग और गुणवत्ता मानकों के बारे में सीमति जागरूकता होती है।
- बाज़ार की जानकारी के अभाव के कारण उपभोक्ता की प्राथमकताओं, रुझानों और प्रतसिपर्द्धियों को लेकर समझ सीमति हो जाती है।
- संसाधन की कमी के कारण बाज़ार अनुसंधान और प्रभावी वपिणन कार्य चुनौतीपूर्ण होता है।

◦ क्रेता तलाशने में कठिनाई:

- नेटवर्क एवं वपिणन में गरिब के कारण नए नरियातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रेता तलाशने में कठिनाई होती है।
 - संभावति क्रेताओं की पहचान करना और वतिरण समूहों तक पहुँच बनाना पहली बार प्रवर्तकों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- व्यापार मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों जैसे वतिरण चैनलों के बारे में सीमति जागरूकता बाज़ार तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती

है।

○ गैर टैरफि बाधाएँ:

- MSME को वदिशों में तकनीकी नयियों और प्रमाणन आवश्यकताओं जैसी गैर-टैरफि बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- सीमिति संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन कार्य जटिल और महँगा होता है।

■ नरियात संबंधी डेटा प्राप्त करना:

○ समेकति सूचना का अभाव:

- भारतीय MSME नरियातकों को वस्तु नरियात एवं बाज़ार अनुसंधान पर बुनयिादी जानकारी प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना पड़ता है।
- संपूर्ण नरियात मूल्य शृंखला को लेकर जानकारी के सत्यापति एवं समेकति स्रोत की कमी है, जसिसे नरियातकों को नरियात प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठनि हो जाता है।
- जानकारी वभिनिन सरकारी वभिगों की वेबसाइट्स पर होती है और साथ ही इसका जटिल प्रस्तुतकिरण एवं उपयोग कथि गए तकनीकी शब्द प्रक्रिया को अधिक जटलि बनाते हैं।

○ सीमिति बाज़ार अनुसंधान संसाधन:

- भारतीय व्यवसायों में उत्पाद तथा देश-वशिषिट बाज़ार अनुसंधान के लयि उपकरणों अथवा चैनलों का अभाव है, जो इच्छुक MSME को नरियात के अवसर तलाशने से हतोत्साहति करता है।

○ शपिमेंट के बाद की प्रक्रियाओं पर असपष्टता:

- शपिमेंट के बाद की प्रक्रियाओं पर सुलभ जानकारी के अभाव के कारण वलिब एवं वत्तितीय असफलता जैसी स्थतियिँ उत्पन्न होती हैं।

○ सरकारी सहायता कार्यक्रम में अंतराल:

- सरकारी सहायता संबंधी वविरणों के वभिनिन स्रोतों पर बखिरे होने के कारण नरियातकों के लयि उन तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

■ नीता परदिश्य:

○ वर्तमान पहल पर टपिपणी:

• स्पष्ट सूचना का अभाव:

- नरियातकों के लयि सरकारी प्रोत्साहन की एक समेकति सूची का अभाव।
- नरियात प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी वभिनिन सरकारी स्रोतों से प्राप्त होना।
- योजना संबंधति दस्तावेज़ों में अक्सर गतविधिथिँ को कवर कथि जाने के बारे में स्पष्टता एवं स्पष्ट वविरण का अभाव होता है।
- सरकारी वेबसाइट्स पर पुरानी जानकारी भ्रम उत्पन्न करती है।

• पात्रता डज़िाइन बाधाएँ:

- अग्रमि पात्रता मानदंड वाली योजनाओं के लयि वशिष प्रयास एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है।
 - पात्रता मानदंड में स्पष्टता का अभाव आवेदन प्रक्रिया को जटलि बनाता है।
- वभिनिन योजनाओं के बीच लाभ तथा शासनादेशों में ओवरलेप MSME के लयि भ्रम उत्पन्न करता है।

○ नीतगित पारस्थितिकि तंत्र में अंतराल:

• वैश्वकि मूल्य शृंखलाओं का एकीकरण:

- अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में उन्नयन के लयि MSME को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीतियिँ का अभाव।
- परीक्षण तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करने के साथ ही प्रमाणन प्राप्त करने में MSME की सहायता करने वाली पहल की आवश्यकता।

• ई-कॉमर्स नीति:

- ई-कॉमर्स नरियातकों के सामने आने वाली चुनौतियिँ के समाधान के लयि एक व्यापक ई-कॉमर्स नीतिका अभाव।

• नए नरियातकों हेतु सहायता:

- नए नरियातकों के लयि अनुपालन बोझ को कम करने हेतु आवश्यक पहल, जसिमें प्रारंभकि शपिमेंट के लयि गैर-अनुपालन की स्थतितिमें जुरमाने से छूट भी शामिल है।

MSME के नरियात को बढ़ावा देने के लयि क्या सफिरशिँ की गई हैं?

■ नरियातकों के लयि वन स्टॉप सूचना चैनल बनाना:

- भारतीय MSME नरियात के वर्तमान परदिश्य से पता चलता है कि MSME का केवल एक छोटा-सा भाग ही प्रत्यक्ष नरियात की क्षमता रखता है, जो सभी MSME इकायिँ के 1% से भी कम है।
 - वर्तमान में नरियातकों के पास आवश्यक उत्पाद, संसाधन एवं प्रौद्योगिकि है। हालाँकि उन्हें नरियात प्रक्रियाओं, उनके अनुपालन एवं बाज़ार नयियों की जानकारी तक पहुँच जैसी चुनौतियिँ का सामना करना पड़ता है।
- नरियातकों के लयि संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन (US ITA) पोर्टल के समान एक व्यापक एवं नयिमति रूप से

अद्यतन मंच की आवश्यकता है।

- इसमें **जनरेटिव AI** क्षमताओं के साथ एक **खुफिया पोर्टल प्रस्तुत** करने का प्रस्ताव है, जिसमें नरियात नियमों, अनुपालन, वित्त, बाज़ार तक पहुँच एवं सरकारी पहलों पर जानकारी प्रदान करने के लिये एक चैटबॉट भी शामिल है।

- पोर्टल में **उन्नत सुविधाओं के साथ बुनियादी जानकारी** सहित बाज़ार अनुसंधान के लिये मॉड्यूल भी होंगे। यह US ITA पोर्टल के समान व्यापक संसाधन, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ ही नवीनतम जानकारी भी प्रदान करेगा।

■ राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क (NTN) का परिचय:

- नरियातकों को वर्तमान में अनुमोदन, लाइसेंस, प्रमाणन और **भुगतान रसीद के लिये कई पोर्टलों** पर नेवगिट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- इस प्रक्रिया में दस्तावेज़ों को भौतिक रूप से जमा करने सहित विभिन्न इंटरफेस के माध्यम से जटिल नेवगिशन शामिल है।
- एंड-टू-एंड **राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल (NTN)** की स्थापना से संपूर्ण नरियात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- NTN नरियातकों को एक सहज अनुभव प्रदान करेगा और दस्तावेज़ी कार्रवाई में आने वाले अंतराल का समाधान करेगा।
- NTN के कार्यान्वयन से MSME नरियातकों के लिये प्रक्रिया संबंधी बोझ और वलिब कम होगा, जिससे वे प्रभावी ढंग से प्रतस्पर्द्धा करने में सक्षम होंगे।
- NTN क्रमानुगत नरीक्षण के **चयन के लिये बड़े डेटा का उपयोग करके, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग के साथ प्रवेश कर कटौती को स्वचालित कर** और वास्तविक समय के साथ कंटेनर ट्रैकिंग को सक्षम कर सीमा शुल्क को सुव्यवस्थित करता है।
 - यह नरिबाध रूप से दस्तावेज़ संबंधी कार्रवाई, स्वचालित भुगतान और शुल्क जमा किया जाना सुनिश्चित करता है, ताकि धोखाधड़ी की समस्या उत्पन्न न हो और भौतिक रूप से बैंकों में आने-जाने की आवश्यकता कम हो।
- कुल मिलाकर NTN एक सहज, स्वचालित और पारदर्शी नरियात प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **वाणजिय मंत्रालय सोसाइटी फॉर वरल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (सवफिट) मैसेजिंग सिस्टम** जैसे वगित प्रयासों की समीक्षा करने और NTN कार्यान्वयन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक टास्क फोर्स बनाकर पहल का नेतृत्व कर सकता है।
 - इसका लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप एक राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क बनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दक्षता और प्रतस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना है।

India's current trade facilitation infrastructure	Opportunity for India
Multi-window process – For example DGFT for export documentation and regulations, customs for shipment, GST for incentives, EDPMS for payment settlement.	One-stop single window
Few processes related to customs and payments are still offline – For example when are goods held in inspection, sampling	Paperless process
Non-standard paper documents	Unified and standard e- documents
Repeated submissions – For example, the same set of documents related to exports have to be submitted to DGFT, customs and EDPMS	One time submission
Vulnerable to counterfeit and falsification	Anti counterfeit and anti- falsification

Table 6.2: Status of India's trade facilitation infrastructure and opportunities for improvement.

■ ई-कॉमर्स नरियात को बढ़ावा देना:

- बाज़ारों तक पहुँच MSME नरियात के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा है, लेकिन ई-कॉमर्स एक समाधान प्रदान करता है।
 - चीन का MSME ई-कॉमर्स नरियात 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि भारत का केवल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- बोझिल अनुपालन प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से भुगतान समाधान, ई-कॉमर्स नरियात वृद्धि में बाधा डालती हैं।
- **ई-कॉमर्स नरियात को बढ़ावा देने के तरीके:**
 - वर्तमान में भारतीय नरियात नियम यह नरिदेश देते हैं कि नरियातक को उत्पाद का मालिक होना चाहिये और नरियात आय नरियातक के नाम पर प्राप्त होनी चाहिये।
 - यह सीमा पार ई-कॉमर्स बिक्री में **MSME तथा एकल उद्यमियों** के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, क्योंकि रिकॉर्ड

के नरियातक (EOR) तथा रकिॉर्ड के वकिरेता (SOR) पर यह दोहरी भूमिका नरियात अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने और भुगतान समाधान प्रक्रियाओं को सुनश्चिति करने का बोझ बढ़ाती है, वशिषतः जब बकिरी में वृद्धि होती है।

- **SOR और EOR के बीच अंतर** करने से वकिरेताओं को उत्पादन पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने और वपिणन एवं अनुपालन कार्यों को वशिष अभकिर्त्ताओं को सौंपने में सक्षम बनाकर व्यावसायिक विकास के लिये समय और संसाधन मुक्त होंगे।
 - सभी ई-कॉमर्स नरियातों के लिये प्रतशित सीमा (Percentage Ceiling) के बिना चालान मूल्य में कमी की अनुमति प्रदान करना।
 - परिचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु ई-कॉमर्स नरियातकों के लिये वार्षिक वित्तीय समाधान प्रक्रिया शुरू करना।
 - नरियातकों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिये अस्वीकृत/रटिर्न पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करना।
 - NTN लागू होने तक 1000 अमेरिकी डॉलर तक के शपिमेंट के लिये समाधान छूट की आवश्यकताओं पर वचिार करना।
 - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिये ई-कॉमर्स नरियात हेतु ग्रीन चैनल क्लीयरेंस स्थापित करना।
- **व्यापारिक वस्तुओं के नरियात में सुगमता को बढ़ावा देना:**
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस** नामक पहल का वसितार नरियात प्रक्रियाओं तक होना चाहिये, वशिष रूप से MSME नरियातकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - MSME को नरियात बाज़ारों में प्रवेश की सुवधि हेतु प्रारंभ में **कुछ अनुपालन आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है।**
 - त्रुटियाँ होने पर माफी पर वचिार कथिा जाना चाहिये क्योंकि इससे सीख लेते हुए MSME एक उचित वातावरण को बढ़ावा देकर नरियात बाज़ारों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकते हैं।
 - **MSME को प्रोत्साहनों के समयबद्ध वतिरण** के लिये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिये ताकि यह सुनश्चिति कथिा जा सके कि **उनकी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध न हो।**
 - MSME के लिये तरलता बनाए रखने और अपने नरियात कार्यों को प्रभावी ढंग से सुचारु रखने हेतु प्रोत्साहनों का समय पर वतिरण कथिा जाना महत्त्वपूर्ण है।
 - इन उपायों से न केवल MSME नरियातकों पर भार कम होगा बल्कि आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा मल्लिगा।
 - यह योजना के तहत नरियात के लिये घटकों/वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देकर अग्रिम प्राधकिरण के तहत शुल्क-मुक्त आयात में उचित बदलाव की अनुमति देता है।
 - मौजूदा नयिम लाइसेंस और वास्तविक नरियात के बीच मामूली अंतर पर **जुर्माना लगाते हैं, जसिसे मुकदमेबाज़ी की स्थिति उत्पन्न होती है।**
 - **प्रस्तावः यह वास्तविक मामलों में उत्पीड़न को कम करने, हानि, क्षति या दोष आदि के उचित स्पष्टीकरण को समायोजित करने के लिये 2-5% वचिलन** की अनुमति देता है।
- **नरियात वतित तक पहुँच में सुधार:**
- MSME के लिये वतित तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। **नरियात ऋण गारंटी को बढ़ावा देने से MSME के लिये कार्यशील पूंजी में सुधार हो सकता है।**
 - वर्तमान में केवल 10% MSME **नरियात करेडिटि गारंटी नगिम (ECGC)** योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं।
 - भारत की शीर्ष नरियात ऋण गारंटी संस्था **ECGC** का प्राथमिक उद्देश्य **भारतीय नरियातकों को वाणजियिक या राजनीतिक कारणों से वदिशी खरीदारों द्वारा भुगतान न कथि जाने के जोखिम से बचाना है।**
 - वतित वर्ष 2022 में ECGC ने भारत से कथि गए कुल 75 बलियिन अमेरिकी डॉलर के सभी नरियातों का बीमा कथिा। हालाँकि यह आँकड़ा **चीन के राज्य के स्वामतिव वाले उद्यम सनिोशयोर की तुलना में काफी कम** है, जसिने वतित वर्ष 2012 में कुल 900 बलियिन अमेरिकी डॉलर के कुल चीनी नरियात का लगभग 25% का बीमा कथिा था।
 - नरियातक MSME के बीच ECGC योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पैकेज के हसिसे के रूप में ब्याज दर में छूट को शामिल कर इसका आकर्षण बढ़ाने का अवसर है।
 - सरकार को उच्च शकिषा ऋण के समान नरियात ऋण प्रदाताओं हेतु एकल बाज़ार बनाकर प्रोत्साहन दथिा जाना चाहिये, जो MSME के लिये लागत को कम कर सकता है।
 - इन उपायों का उद्देश्य MSME पर वित्तीय बाधाओं को कम करना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में सक्षम बनाना है।
- **सटीक माप सुनश्चिति करना:**
- **अपर्याप्त वशि्वसनीय डेटा MSME नरियात के सटीक माप में बाधा डालता है।**
 - **पुरानी आरक्षति क्षेत्र सूचियों के कारण** वर्तमान अनुमान के बढ़ने की संभावना है।
 - सुधार शुरू करने के लिये सटीक माप और लगातार ट्रैकिग महत्त्वपूर्ण है।
 - सामान्य पहचानकर्त्ता के रूप में पैन नंबर का उपयोग करके GST और आयकर डेटा के साथ **वदिश व्यापार महानदिशालय डेटा** का एकीकरण प्रस्तावित करता है।
 - मौजूदा वभिगीय डेटा, जैसे GST रटिर्न और आयकर फाइलिंग का उपयोग करके MSME नरियात को व्यवस्थित करके फर्मों का वार्षिक कारोबार और संयंत्र तथा मशीनरी में नविश नरिधारति कथिा जा सकता है।
 - यह MSME के वर्गीकरण के अनुसार टर्नओवर और नविश मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकरण को सक्षम बनाता है।
 - सरकारी वभिगों में जानकारी साझा करने को लेकर अनचिछा एक चुनौती है। गोपनीयता से समझौता कथिा बिना आवश्यक जानकारी साझा करने के लिये एक तंत्र बनाने हेतु DGFT, वतित मंत्रालय और MSME मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक समतिि बनाने का सुझाव देता है।

- इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य सूचि नीति निर्माण और हस्तक्षेप के लिये MSME नरियात का सटीक चित्रण सुनिश्चित करना है।
- **जापान में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (TSSME)** का व्यापार सांख्यिकी, SME की नरियात और आयात गतिविधियों पर वसित्तु आँकड़े प्रदान करता है। इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है, इसमें लगे हुए SME की संख्या, नरियात गंतव्य और नरियात उतपाद का डेटा शामिल होता है।
 - GSTN पंजीकरण और आयकर रिकॉर्ड से डेटा का उपयोग करके MSME से व्यापारिक नरियात पर आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये TSSME जैसा एक पोर्टल विकसित किया जा सकता है। ये रिपोर्टें नरियातकों की संख्या, शीर्ष उत्पाद, गंतव्य देश और नरियात प्रकार को उजागर करेंगी, जिससे सूचि निर्णय लेने और प्रवृत्त विश्लेषण की सुविधा मिलेगी।

MSME से संबंधित सरकारी पहलें क्या हैं?

वसित्तु तक पहुँच का समर्थन करने वाली पहलें	
MSME-I और II के लिये क्रेडिट गारंटी योजना	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह योजना MSME के लिये प्रति ऋण इकाई 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जो पहले 1 करोड़ रुपए थी। ■ 50 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाओं के प्रस्ताव। 200 लाख के लिये ऋण देने वाली संस्था द्वारा आंतरिक रेटिंग की आवश्यकता होती है। ■ यह रियायती ब्याज दर पर ऋण और एकमुश्त शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क के साथ 5 साल का गारंटी कवर प्रदान करता है। ■ MSMEs में मासिक, त्रैमासिक या अर्द्ध-वार्षिक कसितों जैसे लचीला पुनर्भुगतान विकल्प है।
नरियात ऋण पुनर्वसित्तुपोषण (ECR)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ECR RBI द्वारा तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रचलित रेपो दर पर नरियात ऋण के लिये बैंकों और वसित्तु संस्थानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने की एक योजना है। ■ नरियातकों के लिये ऋण उपलब्धता बढ़ाने और नरियात वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचि बैंक इस सुविधा को रेपो दर एवं क्रेडिट जोखिम प्रीमियम और 3-4% के प्रसार पर प्रदान करते हैं।
अधीनस्थ ऋण के लिये क्रेडिट गारंटी योजना	<ul style="list-style-type: none"> ■ MSME समर्थकों को CGTMSE द्वारा 90% ऋण गारंटी कवरेज के साथ उनकी हसिसेदारी का 50% या 75 लाख रुपए तक क्रेडिट मिलता है। ■ 1.50% वार्षिक गारंटी शुल्क लागू होता है। मूलधन भुगतान पर अधिकतम 7 साल की मोहलत है, जो ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। अधसिथन में ढील के बाद पुनर्भुगतान, मूलधन को समान रूप से वसित्तु मूलधन (PED) के रूप में ऋण की अवधि के भीतर पूरी तरह से चुकाया जाता है।
बाजार पहुँच का समर्थन करने वाली पहलें	
बाजार पहुँच पहल (MAI)	<ul style="list-style-type: none"> ■ भागीदारी के समर्थन के लिये प्रतिसदस्य प्रतभागी कंपनी में सालाना तीन MAI कार्यक्रमों के लिये वसित्तु प्रबंधन (वसित्तु नागरिकों को छोड़कर) के लिये उड़ान टिकट जैसी करियाएँ शामिल हैं। ■ समर्थन बाजार अनुसंधान अध्ययन, संयुक्त आयोजनों, रविरस करेता-वसित्तु बैठकों (RBSM) और MSME के लिये वसित्तु एवं ब्रांडिंग क्षमताओं को बढ़ाने तक वसित्तु है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना	<ul style="list-style-type: none"> ■ MSME को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये रुपए की अदायगी की जाती है। प्रतनिधियों को प्रदान किये गए भत्ते के साथ क्रमशः 1.00 लाख या वासित्तु करिया का भुगतान, स्थान का करिया और हवाई करिया शामिल है।
खरीद और वसित्तु सहायता (PMS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ MSME आधुनिक पैकेजिंग, बारकोडिंग और ई-कॉमर्स अपनाने सहित क्षमता निर्माण के लिये घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेते हैं।

अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने हेतु पहलें

<p>पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु नधि योजना (SFURTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ नयिमति समूहों (500 कारीगरों तक) को 2.5 करोड़ रुपए तक और प्रमुख समूहों (500 कारीगरों से अधिक) को 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ■ इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को सामूहिक रूप से संगठित करना, प्रतस्पर्धात्मकता के लिये उत्पादन एवं मूल्यवर्द्धन को बढ़ाना है। ■ SFURTI उत्पादन सुविधाएँ, कौशल विकास, बाजार विकास, डिज़ाइन और उत्पाद विकास की सुविधा प्रदान करता है।
<p>सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं सहित सामान्य सुविधा केंद्रों के लिये सहायता, सामान्य सुविधा केंद्रों के लिये परियोजना लागत का 80% तक (30 करोड़ रुपए की अधिकतम परियोजना लागत का) और औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 70% तक (15 करोड़ रुपए की अधिकतम परियोजना लागत का)।
<p>एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)/ज़िला नरियात क्लस्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसका उद्देश्य नरियात प्रोत्साहन को ज़िला स्तर पर वकेंद्रीकृत करना और संचालित योजनाओं को एकीकृत करना है। ■ ODOP उत्पाद निर्माण करने वाले मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों के लिये नविश, जसिमें राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर वपिणन और ब्रांडिंग के लिये बुनियादी ढाँचे का समर्थन शामिल है। ■ राज्य या क्षेत्रीय स्तर के ODOP उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिये कुल व्यय का 50% तक अनुदान। ■ ODOP दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के तहत सब्सिडी, 10 लाख रुपए तक 35% की क्रेडिट-लकिड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ■ वभिन्न कार्यों के लिये SHG और उत्पादक सहकारी समितियों जैसे समूहों का समर्थन करने के लिये 35% का क्रेडिट-लकिड अनुदान प्रदान करना। ■ सीड कैपिटल फंड का वसितार करना और ODOP उत्पाद उद्यमियों को उद्यमिता-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करना।

ऐसी योजनाएँ जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवा की लागत को कम करती हैं

<p>नरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ आयात शुल्क माफ करके नरियातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। EPCG के तहत शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, बशर्ते नरियातक छह वर्ष के भीतर पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क बचत का छह गुना नरियात दायित्व पूरा करता हो। ■ ₹1 करोड़ से कम के शपिमेंट के लिये नरियातकों को सीमा शुल्क बंदरगाह पर एक बॉण्ड या बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। ₹1 करोड़ से अधिक के नरियात के लिये बैंक गारंटी वैकल्पिक है। ■ फास्ट-ट्रैक नरियातक प्रोत्साहन के रूप में शीघ्र मोचन का लाभ उठा सकते हैं। यदावे मूल अवधि के 50% से कम में वशिष्ट नरियात दायित्व का 75% या अधिक और औसत नरियात आवश्यकता का 100% पूरा करते हैं।
<p>नरियातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ नरियातित उत्पाद निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय करों को रफिंड कर दिया जाता है।

नरियात प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को सरल और तेज़ बनाने की पहल	
MSME के लिये उदारीकृत भारतीय AEO (अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर) कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> 15 दिनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त AEO का दर्जा दिया गया, जिससे सीमा शुल्क नकिसी तेज़ हो गई और 50-100% तक की बैंक गारंटी की पेशकश की गई। आयात कंटेनरों की डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (DPD), उनके नरियात कंटेनर की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (DPE), बैंक गारंटी से छूट, रफिंड के लिये प्राथमिकता और सीमा शुल्क भुगतान में देरी जैसी त्वरति सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ तेज़ी से कारगो रल्लिज़ सुनश्चित करती हैं।
स्टेटस होल्डर सर्टफिकेशन	<ul style="list-style-type: none"> आयात और नरियात को 100% तक बैंक गारंटी की आवश्यकता के साथ स्व-घोषणा के माध्यम से अधिकृत और मंजूरी दी जाती है। वार्षिक सीमा के अधीन शुल्कों के बनिा/नशुल्क नमूना नरियात की अनुमति है, और सहायक दस्तावेजों के बनिा कागज़ रहति घोषणाएँ स्वीकार की जाती हैं। स्टेटस होल्डर सर्टफिकेशन को चार में से दो वर्षों में नरियात मूल्यों के आधार पर पाँच स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमशः एक से पाँच सतारों के लिये 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है।
उन्नत प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> आयात के लिये कसिी अग्रमि शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है, जसिमें मूल सीमा शुल्क, अतरिकित सीमा शुल्क, शकिषा उपकर, एंटी-डंपगि ड्यूटी, काउंटरवेलगि ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और ट्रांज़िशिन उत्पाद वशिषिट सेफगार्ड ड्यूटी जैसे वभिनिन शुल्क शामिल हैं।

नषिकर्ष

एमएसएमई कषेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिाता है, जो रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद और वनिरिमाण उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। **11 करोड से अधिक लोगों को रोजगार देने** और **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)** का लगभग **27.0%** हसिसा होने के बावजूद, MSMEs को नरियात के अवसरों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पडता है। यह रपिर्ट छह प्रमुख सफिराशियों के साथ एक रणनीतिक रोडमैप का प्रस्ताव करती है, जसिमें एमएसएमई की वशाल नरियात क्षमता को उजागर करने के लिये व्यापक व्यापार पोर्टल का नरिमाण और ई-कॉमर्स नरियात को बढ़ावा देना शामिल है। इन बाधाओं को दूर करके और नरियात वतित तक पहुँच बढ़ाकर, **भारत MSMEs की परविरतनकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है** जसिसे पर्याप्त नरियात वृद्धा हो सकती है और अधिक लचीले तथा प्रतसिपर्द्धी आर्थिक परदृश्य को बढ़ावा मलि सकता है।